AMAR UJALA, Delhi, 1.3.2022
Page No. 9, Size:(15.86)cms X (18.56)cms.

सुपरटेक के ट्विन टावर 22 मई तक गिरा दिए जाएंगे

नोएडा प्राधिकरण ने दी सुप्रीम कोर्ट को जानकारी

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। नोएडा प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को बताया गया कि 31 अगस्त, 2021 के उसके फैसले के मद्देनजर नोएडा में अवैध रूप से निर्मित 40 मंजिला ट्विन टावरों को 22 मई तक गिरा दिया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण की ओर से वरिष्ठ वकील रवींद्र कुमार ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ का बताया कि विध्वंस की प्रक्रिया शुरू हो गई है और टावरों को 22 मई को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। वहीं, मलबों को हटाने का काम 22 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा।

कुमार ने पीठ को बताया कि नौ फरवरी को इस संबंध में सभी हितधारकों की बैठक हुई थी, जिसमें तमाम कार्रवाई की समयसीमा तय की गई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में गेल व अन्य अथॉरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) ले लिए गए हैं। बैठक में यह भी तय किया गया है कि ट्विन टावर को गिराने के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण 22 अक्तूबर तक कर

लिया जाएगा। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि सभी अथॉरिटी नोएडा प्राधिकरण के हलफनामे में दी गई समयसीमा का सख्ती से पालन करें। इस पर अगली सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख तय की गई है। इससे पहले सात फरवरी को शीर्ष अदालत को सूचित किया गया था कि गेल की एनओसी की आवश्यकता है क्योंकि एक उच्च दबाव वाली भूमिगत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है जो टावर से 15 मीटर की दूरी और तीन मीटर की गहराई से गुजर रही है। 17 जनवरी को शीर्ष अदालत को बताया गया था कि टावरों को गिराने के लिए एक विध्वंस एजेंसी, एडिफिस इंजीनियरिंग को चुना गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रखा था बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें भवन मानदंडों के उल्लंघन के लिए सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 40 मंजिला ट्विन टावर-16(अपेक्स) और 17(स्यान) को ढहाने का आदेश दिया गया था। सुपरटेक को तीन महीने के भीतर टावरों को गिराने का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया था। ढहाने का कार्य नोएडा के अधिकारियों की देखरेख में होने की बात कही गई थी। सुपरटेक को इस मद में होने वाले खर्च का वहन करने के लिए कहा गया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को दो महीने के भीतर ट्विन टावरों के फ्लैट खरीदारों को 12 फीसदी प्रति वर्ष ब्याज के साथ राशि वापस करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने बिल्डर को एमरॉल्ड कोर्ट ओनर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को हर्जाने के तौर पर दो करोड़ रुपए का भुगतान करने का भी निर्देश दिया था।